

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज.)

वेतनासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा  
आई.ए.एस.

दिसल संख्या

मैनुअल नं. 30 / प्रा.पत्र / 2023  
(GCMS No. 2023 / 48 )

तारीख दायरा  
23.01.2023

तारीख निर्णय  
22.05.2024

मेंटर होम लोन्स इंडिया लिमिटेड,  
पंजीकृत कार्यालय मेंटोर हाउस, गोविन्द मार्ग,  
सेठी कॉलोनी, जयपुर (जरिये प्राधिकृत अधिकारी)  
- प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

### बनाम

- श्री देवीशंकर आ. भीमा मीणा,  
पता-प्लॉट नं. 04, ग्राम भरता बावडी, ग्रा. पं. धनातरी,  
तहसील व जिला बून्दी (राजस्थान)
  - श्रीमती राजन्ता देवी पत्नी देवीशंकर मीणा,  
पता-प्लॉट नं. 04, ग्राम भरता बावडी, ग्रा. पं. धनातरी,  
तहसील व जिला बून्दी (राजस्थान)
- अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण  
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थित-

प्रार्थी की ओर से श्री अनिल ठागरिया एवं सुश्री कविता कहार एडो  
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

### आदेश

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मेंटर होम लोन्स इंडिया लिमि., जिसका पंजीकृत कार्यालय मेंटोर हाउस, गोविन्द मार्ग, सेठी कॉलोनी, जयपुर में स्थित है, जो कि केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत पंजीकृत हाउसिंग वित्त कंपनी के रूप में वित्तीय संस्था है, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 19.04.2018 को रुपये 7,00,000/- का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में बंधक सम्पत्ति श्री देवीशंकर पुत्र श्री भीमा मीणा की आवासीय सम्पत्ति भूमि व भवन पट्टा नं. 35, ग्राम भरता बावडी, ग्रा.पं.धनातरी, पं.स.तालेडा, जिला बून्दी,



जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

22-05-24 2/21

82

DM Court Bundi GCMS No. 2023/48  
Decision Date 22/05/2024 Page 2 to 3

जिसका कुल क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट है एवं श्रीमती राजन्ता देवी पत्नी  
 बावडी, ग्रा.पं.अल्फानगर, पं.स. तालेडा, जिला बून्दी, जिसका कुल क्षेत्रफल  
 1500 वर्गफीट है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रदत्त उक्त ऋण का नियमित रूप  
 पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में गिरवीकृत किया गया  
 आकियान्विति आरिस्त NPA (अनर्जक परिसम्पत्ति) के रूप में वर्गीकृत कर दिया  
 गया था। अप्रार्थीगण के खाते में 10,43,422/- बकाया रकम दिनांक 11.10.  
 2021 तक शेष देय है व इससे आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च  
 पूर्णभुगतान करने तक के लिये अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था  
 ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 13.10.  
 2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित किया गया। साथ ही मांग सूचना  
 पंजाब केसरी हिन्दी समाचार एवं Bussiness Standard न्यूज पेपर में दिनांक  
 12.01.2022 को प्रकाशित किये जाने के बावजूद निर्धारित अवधि के अन्तर्गत  
 ऋणी/बंधककर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा  
 बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। इस  
 कारण प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of  
 Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की  
 धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुनर्भुगतान हेतु उक्त  
 रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था की जरिये पुलिस इमदाद  
 संभलाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रकट किया कि  
 अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के  
 नियमानुसार भुगतान नहीं किये जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के  
 अन्तर्गत अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित किया गया, इसके  
 बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की हैं। दिनांक  
 16.08.16 को उक्त अधिनियम की धारा 12 में किये गये संशोधन के अनुसार  
 यदि धारा 13(2) का नोटिस पूर्व में दिया जा चुका है तो ऋणी को मजिस्ट्रेट  
 की ओर से धारा-14 के तहत प्रार्थना पत्र का पृथक से नोटिस जारी किये  
 जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अभिभाषक द्वारा अवगत कराया गया  
 कि जिला मजिस्ट्रेट महोदय को केवल दो पहलुओं पर विचार करना होता है  
 कि क्या प्रतिभूत आस्ति उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर आती है, और  
 क्या धारा 13(2) के अधीन सूचना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में  
 उक्त दोनों बिन्दुओं की पालना हो चुकी है। अतः उपरोक्त बंधक सम्पत्ति का  
 कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने  
 का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

al  
 जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

